



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
**Directorate School Education**  
**विद्यालय शिक्षा निदेशालय**

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
 Education, Culture and Development  
 School Education, Haryana  
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा  
 तमसो मा ज्योतिर्गमय  
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253  
 कार्यालय: प्लॉट नं 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253  
 e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

**ORDER NO. 32/5-2021 PS (4)**

**DATED, PANCHKULA THE 16.12.2021**

The Managing Committee of **Ramanujan Progressive School, Palwal** is hereby approved with the following members:-

<b>Priority</b>	<b>Member Name (Sh./Smt.)</b>	<b>Designation</b>
1	Sh.Rakesh Mohan Kukreja	President
2	Dr. Rajeev Mohan Kukreja	Secretary
3	Mrs. Shanti Devi	Female Member
4	Mrs. Jyoti Kukreja	Treasurer
5	Dr. Sunil Sharma	Member
6	Mrs. Monikia Maheshwari	Principal & Ex-Officio Member
7	Mrs. Sonia Arora	Teacher Representative
8	Mr. Roop Kishor	Parent Representative
9	Dr. Sujata Tripathi	Female Member
10	Sh. K.L. Sharma	Educationist
11	Dr. Deepansh Sharma	Member

**J. GANESAN, IAS**  
**DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**

**Endst. No. even**

**Dated, Panchkula the 22-12-2021**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-


1. District Education Officer, **Palwal**.
2. District Elementary Education Officer, **Palwal**.
3. Manager, **Ramanujan Education & Research Foundation, Faridabad**.
4. Principal, **Ramanujan Progressive School, Palwal**.
5. I.T. Cell (HQ)
6. Office Record Copy.

**SUPERINTENDENT PS**  
**FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,**  
**HARYANA, PANCHKULA**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
**Directorate of Secondary Education**  
**माध्यमिक शिक्षा निदेशालय**

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
 Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय  
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253  
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

**Order No. 2/2-2016 HRME-I (4)**

**Dated, Panchkula 21.12.2021**

The Promotion order which were issued vide order No. 2/2-2016 HRME-I (4) dated 27.10.2021 in repect of Sh. Jai Bhagwan (69932), Clerk at Sr. No. 47 is hereby withdrawn with immediate effect.

**VIVEK KALIA**  
**ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-II**  
**O/O DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**

**ENDST. No. Even**

**DATED, PANCHKULA 28-12-21**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Distrcit Education Officer, Gurugram.
2. PA/Additional Director Admn-II.
3. IT Cell is requested to upload the database as well as upload the order at Departmental website please.


**SUPERINTENDENT HRME-I**  
**For DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**

E:\Anju Bala HRME\OFFICE ORDER\Office order 2016.docx

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253  
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
**Directorate School Education**  
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER NO. 2/2-2016 HRME-I (4)

DATED, PANCHKULA: 22.12.2021

The following officials are hereby transfer/adjustment with immediate effect:-

Sr. No.	Name, Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1	Sh. Hari Om (36326), Assistant	O/o BEO Lakhan Majra (5049) Distt. Rohtak.	O/o DEO, Hisar (4158)	A/V. Due to non-availability of vacant post in O/o BEO, Lakhan Majra (5049).
2	Sh. SurajBhan (41525), Assistant	O/o BEO, Mahendergarh (5080)	O/o BEO, Siwani (5121), Distt. Bhiwani	A/V. Due to non-availability of vacant post in O/o BEO, Mahendergarh (5080)

Note :-

- The officials will be relieved immediately and in any case within 3 days failing which he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
- No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
- If there is no vacancy in the destination office for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ. If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, it should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
- The condition that officials have not been joined previous transfer place of posting is implemented on Cancellation Order.
- The officials will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
- Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the officials at your own level.

**VIVEK KALIA**  
**ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-II**  
**O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**

DATED PANCHKULA, 27.12.2021

ENDST. No. Even

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- District Education Officer, Rohtak/Hisar/Mahendergarh/Bhiwani.
- Secy. OSD/CM.
- PS/DSE.
- PA/AD Admn-II.
- IT Cell.
- HRME-II Branch.
- Data Entry Operator (HRME-I Branch) is requested to update the data of the concerned official on the website/MIS Portal please.

**SUPERINTENDENT HRME-I**  
**FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**

कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला।

आदेश क्रमांक 5/3-2021 एच0आर0एम0ई0-11(1)


दिनांक 21/12/2021

श्री कृष्ण कुमार, तत्कालीन लिपिक, रा0व0मा0वि0 रामगढ़ अब डाईट, सैक्टर-2, पंचकूला को निदेशालय के यादि क्रमांक 5/3-2021 एच0आर0एम0ई0-11(1) दिनांक 09.08.2021 को हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम 2016 के नियम 8 में निम्नानुसार आरोपित किया गया था:-

1. यह है कि आप द्वारा विद्यालय में कार्यग्रहण के समय से ही प्राचार्य के आदेशों की अवहेलना की गई।
2. यह है कि आप द्वारा स्टॉफ के सदस्यों के सामने प्राचार्य के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दुव्यवहार किया गया तथा उनको झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी गई।
3. यह है कि आप को प्राचार्य द्वारा जब भी लिपिक का चार्ज लेने हेतु कार्यवाही की गई तो उसके जवाब में उस द्वारा पुराने चार्ज को नकारते हुए केवल करंट चार्ज देने हेतु कहा गया। इसके अतिरिक्त जब वेतन का कार्य मिलकर करने वाले दो सम्बंधित कर्मचारी आपके पास चार्ज देने हेतु गए तो आप द्वारा एक समय में केवल एक ही महिला कर्मचारी को अपने पास आने के लिए बोला गया।

कर्मचारी द्वारा दिनांक 23.08.2021 को चार्जशीट का उत्तर दिया गया है तथा निदेशालय द्वारा मामले में आदेश क्रमांक 5/3-2021 एच0आर0एम0ई0-11 (1) दिनांक 19.02.2021 के अनुसार श्री विरेन्द्र दहिया, सहायक निदेशक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट दिनांक 19.04.2021 में कर्मचारी पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित हुआ पाया गया।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति को मददेनजर रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि श्री कृष्ण कुमार, लिपिक कार्यालय डाईट, सैक्टर-2 पंचकूला ने उपरोक्त अनियतताएं करते हुए अपने आप को हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम 2016 के नियम 8 के अंतर्गत उत्तरदाई ठहराया है, इसलिए, मैं सक्षम अधिकारी होने के नाते कर्मचारी की एक वार्षिक वेतन वृद्धि अंसंचित प्रभाव से रोकने के आदेश पारित करता हूँ।

  
विवेक कालिया

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-11  
कृते निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
पंचकूला

सेवा में


श्री कृष्ण कुमार, तत्कालीन लिपिक,  
रा0व0मा0वि0 रामगढ़, अब डाईट, सैक्टर-2, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

पंचकूला, दिनांक 28/12/2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला।
2. प्राचार्य रा0व0मा0वि0 रामगढ़।
3. प्राचार्य डाईट, सैक्टर-2, पंचकूला।
4. आई0टी0सैल।

  
उप-अधीक्षक एच0आर0एम0ई0-11  
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा  
पंचकूला।



Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय  
**GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार**  
**Directorate School Education**  
**विद्यालय शिक्षा निदेशालय**

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
Education, Culture and Development  
School Education, Haryana  
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा  
तमसो मा ज्योतिर्गमय  
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

**ORDER**

No. 4/128-2021 HRME-II (5)

Dated, Panchkula, the:-21.12.2021

**The following Class-IV (Group-D) employee is hereby transferred as new appointment by transfer basis with immediate effect:-**

Sr. No.	Name Sh/ Smt., Designation, DOA	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1.	Saroj Class-IV [211666] [DOA:-29.01.2018]	GSSS, Ramrai [1692] Jind	GHS, Jamni [1578] Jind	A/V

**Note:-**

1. The employee be joined on the same post as working on prior station.
2. The official will be relieved immediately and if he/she fails to do so, he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
3. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
4. If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.  
If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, It should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
5. Consent/affidavit of the official be taken that he is willing to loose his/her seniority in case of requested transfer orders.
6. The condition that official has not been joined previous transfer place of posting is not implemented on Cancellation Order.
7. The official will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
8. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.

**VIVEK KALIA**  
**ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-II**  
**O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**

**Endst. No. 4/128-2021 HRME-II (5)**

**Dated Panchkula, the:- 28-12-21**

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. PS/EM.
3. District Education Officer concerned.
4. Concerned Institution.
5. Official concerned.
6. IT Cell.
7. Separate copy for Data Entry Operator for MIS to update the data of the concerned official.


*Shri...*  
**DY. SUPERINTENDENT HRME-II**  
**for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**



Directorate of School Education / शिक्षा विभाग  
GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GMSSSS-Sanghi[2681], Rohtak

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 27-12-2021

विषय

BaLa (Building as Learning Aid) under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Sanghi (Rohtak) [2681]	BaLa (Building as Learning Aid)	300000.00
	कुल राशि	300000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर BaLa (Building as Learning Aid) के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों में BaLa (Building as Learning Aid) के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठाकन कमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 22/2/21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 कमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुराध है कि भवनों में BaLa (Building as Learning Aid) के कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी रोहतक
8. उप खजाना अधिकारी, महम/साम्पला/कलानौर
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GMSSSS-Naraingarh[30], Ambala

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 23-12-2021

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Naraingarh (Ambala) [30]	Repair and maintenance of ACRs	446700.00
	<b>कुल राशि</b>	<b>446700.00</b>

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

  
सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।




पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 24-12-21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला
5. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी अम्बाला
8. उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैंट/बराड़ा/नारायणगढ़/मुलाना
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


  
सहायक निदेशक निर्माण  
कृतो: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



तमसो मा ज्योतिर्गमय  
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GMSSSS-Bilaspur[175], Yamuna Nagar

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 27-12-2021

**विषय** BaLa (Building as Learning Aid) under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Bilaspur (Yamuna Nagar) [175]	BaLa (Building as Learning Aid)	300000.00
	<b>कुल राशि</b>	<b>300000.00</b>

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर BaLa (Building as Learning Aid) के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों में BaLa (Building as Learning Aid) के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

  
सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला: 27/12/21

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों में BaLa (Building as Learning Aid) के कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी यमुनानगर
8. उप खजाना अधिकारी, यमुनानगर/छछरोली/बिलासपुर/सडौरा/रादौर
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GMSSSS-Raniyala[6088], Nuh Mewat

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 27-12-2021

**विषय** BaLa (Building as Learning Aid) under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Raniyala (Nuh Mewat) [6088]	BaLa (Building as Learning Aid)	300000.00
	<b>कुल राशि</b>	<b>300000.00</b>

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर BaLa (Building as Learning Aid) के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों में BaLa (Building as Learning Aid) के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

*(Signature)*  
 सहायक निदेशक निर्माण  
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 12/04/2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 कमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त मेवात
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मेवात को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों में BaLa (Building as Learning Aid) के कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी मेवात उप खजाना अधिकारी, नूह (मेवात)/फिरोजपुर झिरका/पुनहाना (मेवात)/तावडू (मेवात)
8. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
9. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
10. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

12/04/21  
Anurag

सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।